UPMT010015872026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–741/2026
मोहम्मद प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 653/2025, धारा 80(2),85 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोसीकलॉं, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **मोहम्मद** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा रहीस की पुत्री शबनम पत्नी आवेदक/अभियुक्त मोहम्मद से अतिरिक्त दहेज में चार पहिया वैगन आर० गाड़ी की माँग करते हुए उसे इसके लिए प्रताड़ित व उत्प्रेरित करना और इसी क्रम में उक्त शबनम की फाँसी लगाकर हत्या/दहेज हत्या कारित कर देना आदि आक्षेपित है।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा विल्लू में मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसको झूठा फँसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने अपनी पत्नी की दहेज मृत्यु कारित नहीं की है, शबनम ने स्वयं आत्महत्या की है और आवेदक/अभियुक्त को गलत रूप से फँसा दिया गया है। वादी द्वारा उक्त केस की प्राथमिकी एक झूठी, काल्पनिक व मनगढ़ंत कहानी के आधार पर दर्ज कराई गई है, जबकि आवेदक/अभियुक्त व उसके परिवारीजन ने कभी भी अतिरिक्त दहेज की माँग नहीं की और न दहेज के लिए प्रताड़ित किया और न दहेज मृत्यु कारित की और न कभी मारपीट की। मृतका गैर मर्द से अक्सर फोन से वार्तालाप करती थी, जिसके कारण घर में मनमुटाव था, इसी बात से क्षुब्ध होकर दिनांक 29.10.2025 जब घर पर कोई नहीं था तो मृतका ने कमरे की कुंडी अंदर से बंद करके चुन्नी का फंदा बनाकर रोशनदान से लटककर आत्महत्या कर ली। दिनांक 29.10.2025 को मृतका घर पर अकेली थी। आवेदक/अभियुक्त ने शादी से अब तक कभी भी अतिरिक्त दहेज में वैगन आर० कार की माँग नहीं की और न दहेज के लिए प्रताड़ित किया। इस घटना के बाद आवेदक/अभियुक्त के परिवारीजनों ने मृतका के मां–बाप को फोन द्वारा सूचना दी थी, जिस पर मृतका के मां–बाप तथा अन्य रिश्तेदार आये थे। किसी भी तरह की पंचायत दहेज मांगने के सम्बन्ध एवं मृतका को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में कभी नहीं हुई। कथित घटना का कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त करीब तीन माह से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व न तो सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है और न ही खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है, वह सजायाफ्ता नहीं हैं और न ही उनका कोई आपराधिक इतिहास है, अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

4– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी पक्ष के निजी विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

5– तर्क के दौरान अभियुक्त पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं, उसको झूठा फँसाया गया है, उसने कोई कथित अपराध कारित नहीं किया है।

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.10 17:20:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

UPMT010015872026

प्रतिवाद में अभियोजन/वादी पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा रहीस की पुत्री शबनम पत्नी आवेदक/अभियुक्त मौहम्मद से अतिरिक्त दहेज में चार पहिया वैगन आर० गाड़ी की माँग करते हुए उसे इसके लिए प्रताड़ित व उत्प्रेरित करना और इसी क्रम में उक्त शबनम की फाँसी लगाकर हत्या/दहेज हत्या कारित कर देना आदि आक्षेपित है। वादी की पुत्री उक्त शबनम का विवाह आवेदक/अभियुक्त मौहम्मद के साथ दिनांक 05.04.2025 को हुआ था, शबनम से उसके ससुरालीजन द्वारा अतिरिक्त दहेज में चार पहिया वैगन आर० गाड़ी की माँग करते हुए उसे इसके लिए प्रताड़ित व उत्प्रेरित किया जाता था और उक्त माँग पूरी न होने पर दिनांक 29.10.2025 को उक्त शबनम की फाँसी लगाकर हत्या/दहेज हत्या कारित कर दी गई, इससे पूर्व दिनांक 28.10.2025 को उक्त शबनम द्वारा वादी को फोन से बताया गया था कि आप आ जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। शबनम की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर, सामान्य से अन्यथा परिस्थितियों में उसकी ससुराल वाले घर में हुई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में शबनम को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित/उत्प्रेरित किए जाने का तथ्य भी स्पष्टतः अंकित है। शबनम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर गले पर लिगेचर मार्क सहित कुल दो मृत्युपूर्व चोटें पाई गई हैं और यह तथ्य भी अंकित है कि Death due to asphyxia as result of hanging. मामले में विवेचना पूर्ण होकर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित कर दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है तथा मुख्य अभियुक्त है। मामले के सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में सत्र न्यायालय से निरस्त की जा चुकी है।

स्वीकृत रूप से आवेदक/अभियुक्त **मोहम्मद** प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः नामित है और उसकी ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है।

जहाँ तक कथित घटना में आवेदक/अभियुक्त की भूमिका का प्रश्न है, यह तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु है। आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार प्रतीत नहीं होता है। निष्कर्षतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई०मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–10.03.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.U.P. 1910

सन्देश वर्मा